दा0प्र0क0 627/2022
शासन वि सुमन उर्फ गुड्डन कमार
धारा 294,323,506बी भा0द0सं0
299 द0प्र0सं0 के तहत आदेश दिनांक 22.01.2024

22.01.2024 राज्य द्वारा डीपीओ

अभियुक्त सुमन उर्फ गुड्डन अनुपस्थित, उनके ओर से पैरवी हेतु अधिवक्ता भी अनु0।

प्रकरण अभियुक्त की उपस्थिति हेतु नियत है।

प्रकरण का अवलोकन करने पर दर्शित है कि प्रकरण इस न्यायालय में दिनांक 28.10.2022 से लंबित होते हुए आरोप विरचना के स्तर पर है। प्रकरण में अभियुक्त दिनांक 25.03.2023, 28.05.2023, 08.05.2023, 12.05.2023 को अनुपस्थित होने पर उसके विरूद्ध गिरफतारी वारंट दिनांक 12.05.2023, 11.09.2023, 28.11.2023, 07.12.2023 को जारी किया गया था, जिसके जारी गिरफतारी वारंट के परिपालन में थाना गरियाबंद द्वारा आज दिनांक को गिरफतारी वारंट अदम तामिल रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। जिसमें उल्लेख किया गया है कि अभियुक्त के सकुनत पर पहुंचकर पता किये जाने पर अभियुक्त अपने घर में नहीं मिले और उनके पडोसीयों से पूछताछ करने पर गांव के घर में नहीं रहने का कथन किया किन्तु कहां जाकर रह रहा है उसकी जानकारी न होने का भी कथन किया गया है उक्त गिरफतारी वारंट में गवाह निरभ झारे एवं रामलाल का हस्ताक्षर मौजूद है।

अतः प्रकरण की लंबित अवस्था एवं अभियुक्त की अनुपस्थिति को देखते हुए अभियुक्त के अविलम्ब मिलने की संभावना दर्शित नहीं हो रही है तथा अभियुक्त के अनुपस्थिति में प्रकरण की कार्यवाही संभव नहीं है, अतः समस्त परिरिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त के विरूद्ध धारा 299 द0प्र0सं0 के तहत कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को फरार घोषित किया जाता है।

अभियुक्त **सुमन उर्फ गुड्डन** के विरूद्ध स्थायी गिरफतारी वारंट जारी किया जावें।

प्रकरण सुरक्षित रखने की टीप के साथ अभिलेख सुव्यवस्थित कर अभिलेखागार प्रेषित किया जावे।

सही/अस्पष्ट
(श्रीमती छाया सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गरियाबंद